अध्याय
09

संविधान एक जीवंत दस्तावेज़

सीखने का प्रतिफल

इस अध्याय में छात्र भारत के संविधान के निर्माण एवं उसकी महत्ता को समझेंगे!

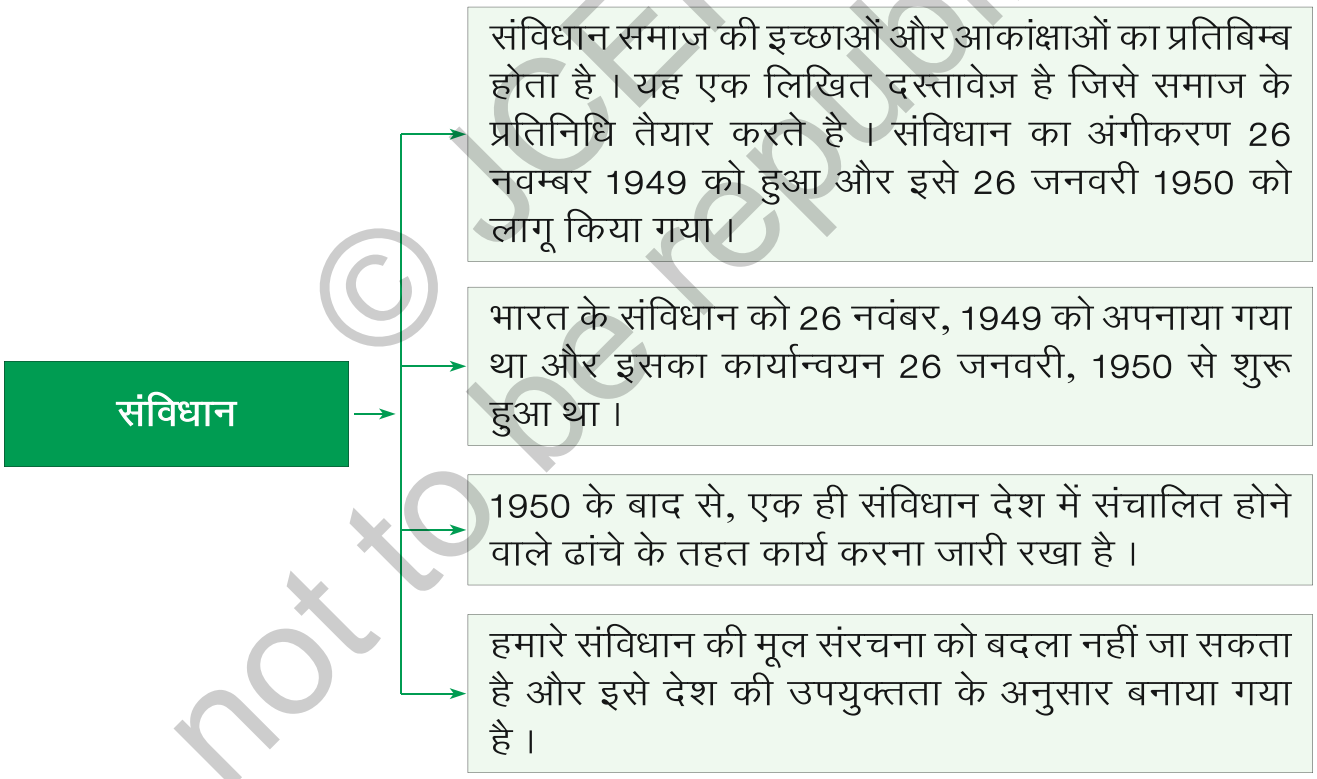

© JCERT not to be republished

संविधान में जीवंतता है क्योंकि

- यह परिवर्तनशील है ।
- यह स्थायी या गतिहीन नहीं ।
- समय की आवश्यकता के अनुसार इसके प्रावधानों को संशोधित किया जाता है ।
- संशोधनों के पीछे राजीनीतिक सोच प्रमुख नहीं बल्कि समय जरूरत प्रमुख ।
- एक जीवित संविधान संविधान की मूल संरचना को बदले बिना किए गए संशोधनों को संदर्भित करता है, जिसका परिणाम न्यायिक व्याख्या के कारण हुआ है ।
- एक 'लिविंग संविधान के रूप में, यह समय — समय पर विभिन्न स्थितियों में उत्पन्न होने वाले अनुभवों का जवाब देता है ।
- उदाहरण के लिए, आरक्षण के मामले में सर्वोच्च न्यायालय, जो नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में कुल सीटों के 50% से अधिक नहीं हो सकता है ।

लचीला संविधान : → जिसमें संशोधन सरलता से वैसे ही किया जाता है जैसे कानून बनाया जाता है उदाहरण के लिए — राज्यों के नाम बदलना , उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना आदि । संसद के दोनों सदनों द्वारा उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से बदल सकते हैं ।

कठोर संविधान : → संविधान की कुछ धाराओं को बदलने के लिए संसद के दोनों सदनों का दो तिहाई बहुमत आवश्यक है और कुछ के लिए बहुमत के साथ — साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा संशोधन पर समर्थन आवश्यक है ।

© JCERT not to be republished

संविधान में संशोधन

- संशोधन की प्रक्रिया केवल संसद से ही शुरू होती है ।
- संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है ।
- संशोधनों का अर्थ यह नहीं कि संविधान की मूल सरंचना परिवर्तित हो।
- संशोधनों के मामले में भारतीय संविधान लचीलेपन व कठोरता का मिश्रण ।
- संविधान में अबतक लगभग 100 संशोधन
- संविधान संशोधन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को पुर्नविचार के लिए भेजने का अधिकार नहीं है ।

संशोधन करने के तरीके

- संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर ।
- संसद के दोनों सदनों में अलग — अलग विशेष बहुमत के आधार पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव ।
- विशेष बहुमत और आधे राज्यो के समर्थन द्वारा संशोधन

संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर प्रावधान

- नए राज्यों का निर्माण
- राज्यों की सीमाओं व नामों में परिवर्तन
- राज्यों में उच्च सदन (विधान परिषद) का सृजन या समाप्ति
- नागरिकता की प्राप्ति व समाप्ति
- सर्वोच्च न्यायलय का क्षेत्राधिकार बढ़ाना!

© JCERT not to be republished

विशेष बहुमत और आधे राज्यो के समर्थन द्वारा संशोधन का प्रावधान :-

राष्ट्रपति के निर्वाचन का तरीका

केन्द्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण

संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व

साधारण बहुमत व विशेष बहुमत में अंतर

- साधारण बहुमत मतदान करने वाले सदस्यों का संख्या 50 % +1 है ।
- विशेष बहुमत- सदन के कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत है ।
- अनुच्छेद 368
- अनुच्छेद 368 में कहा गया है कि संसद अपने संविधान संशोधन के माध्यम से अपने संसदीय शक्ति संशोधन को लागू कर सकती है, इस लेख में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस संविधान के किसी प्रावधान को निरस्त कर सकती है ।

संविधान में संवैधानिक संशोधनों द्वारा दिए गए कुछ परिवर्तनों :-

- 1951 :- संपत्ति के अधिकार का संशोधन संविधान मे नौवीं अनुसूची जोड़ी गई ।
- 1969 :- उच्चतम न्यायालय का निर्णय कि संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती जिससे मौलिक अधिकारों का हनन हो ।
- 1989 :- 61वां संशोधन — मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष
- 73वां, 74वां संशोधन :- स्थानीय स्वशासन
- 93वां संशोधन :- (2005) उच्च शिक्षा संस्थानों में पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान आरक्षित ।
- 42वां संशोधन :- (1976) प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द का जुड़ना ।
- 52वां संशोधन :- (1985) दल बदल पर रोक ।

© JCERT not to be republished

संविधान में इतने संशोधन क्यों ?

- हमारा संविधान द्वितीय महायुद्ध के बाद बना था उस समय की स्थितियों में यह सुचारू रूप से काम कर रहा था पर जब स्थिति में बदलाव आता गया तो संविधान को संजीव यन्त्र के रूप में बनाए रखने के लिए संशोधन किए गए ।
- इतने (लगभग 100) अधिक संशोधन हमारे संविधान में समय की आवश्यकतानुसार लोकतंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए किए गए ।
- अनुच्छेद 368
- संविधान में किए गए संशोधनों का विभाजन :-
- संविधान में किए गए संशोधनों का तीन श्रेणियों में विभाजन:-
- प्रशासनिक संशोधन
- संविधान की व्याख्या से संबंधित
- राजनीतिक आम सहमति से उत्पन्न संशोधन

विवादस्पद संशोधन

- वे संशोधन जिनके कारण विवाद हो । संशोधन 38वां, 39वां 42वां विवादस्पद माने जाते है । ये आपातकाल में हुए संशोधन इसी श्रेणी में आते हैं । विपक्षी सांसद जेलों में थे और सरकार को असीमित अधिकार मिल गए थे ।
- **संविधान की मूल संरचना का सिद्धान्त :-**
  यह सिद्धान्त सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में 1973 में दिया था । इस निर्णय ने संविधान के विकास में निम्नलिखित सहयोग दिया :-
  - संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमा निर्धारित हुई ।
  - यह संविधान के विभिन्न भागों के संशोधन की अनुमति देता है पर सीमाओं के अंदर ।
  - संविधान की मूल सरंचना का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा ।

© JCERT not to be republished

संविधान एक जीवंत दस्तावेज

संविधान एक गतिशील दस्तावेज है। भारतीय संविधान का अस्तित्व 67 वर्षों से है इस बीच यह अनेक तनावों से गुजरा है । भारत में उतने परिवर्तनों के बाद भी यह संविधान अपनी गतिशीलता और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य के साथ कार्य कर रहा है । परिस्थितियों के अनुकुल परिवर्तनशील रह कर नई चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भारत का संविधान खरा उतरता है यहीं उसकी जीवतंता का प्रमाण है ।

© JCERT not to be republished

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. संविधान में समय-समय पर संशोधन करना आवश्यक होता है क्योंकि?

   a. परिस्थितियां बदलने पर संविधान में उचित संशोधन करना आवश्यक हो जाता है!

   b. किस समय विशेष में लिखा गया दस्तावेज कुछ समय पश्चात आप प्रसांगिक हो जाता है!

   c. हर पीढ़ी के पास अपनी पसंद का संविधान चुनने का विकल्प होना चाहिए!

   d. संविधान में मौजूदा सरकार का राजनीतिक दर्शन प्रतिबिंब होना चाहिए

2. निम्नलिखित वाक्यों के सामने सही गलत का निशान लगाएं!?

   a. राष्ट्रपति किसी संशोधन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता!

   B. संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होता है!

   C. न्यायपालिका संवैधानिक संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकते परंतु उसे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है व्याख्या के द्वारा और संविधान को काफी हद तक बदल सकती है!

   D. संसद संविधान से किसी खंड में संशोधन कर सकती है!

3. निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं इस प्रक्रिया में यह कैसे शामिल होते हैं?

   a. मतदाता

   b. भारत का राष्ट्रपति

   C. राज्य विधानसभा में

   d. संसद

4. संविधान के संशोधन 42 वा सबसे विवादास्पद संशोधन रहा है इस विवाद के क्या कारण थे?

   a. यह संशोधन राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किया गया था आपातकाल की घोषणा अपने आप में ही एक विवाद का मुद्दा था!

   B. संशोधन विशेष बहुमत पर आधारित नहीं था

   C. इसे राज्य विधान पालिकाओं का समर्थन प्राप्त नहीं था!

   d. संशोधन के कुछ उपबंध विवादास्पद थे

5. बुनियादी ढांचे के सिद्धांत के बारे में सही बात को चिन्हित करें?

   a. संविधान में बुनियादी मान्यताओं का खुलासा किया गया है!

   b. बुनियादी ढांचे को छोड़कर विधायिका संविधान के सभी हिस्सों में संशोधन कर सकती हैं!

   c. न्यायपालिका ने संविधान के उन पहलुओं का स्पष्ट कर दिया है जिन्हें बुनियादी ढांचे के अंतर्गत या उसके बाहर रखा जा सकता है!

© JCERT not to be republished

d. यह सिद्धांत सबसे पहले केसवानंद भारती मामले में प्रतिपादित किया गया है

लघु उत्तरीय प्रश्न

6. संविधान में संशोधन के क्या तरीके हैं?
7. भारतीय संविधान के जनक कौन है?
8. भारत का संविधान कब लागु हुआ?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

9. संविधान एक जीवंत दस्तावेज है विवेचना करें?
10. संविधान में किए गए विभिन्न संसाधनों की विवेचना करें?.

© JCERT not to be republished